हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

दशम् सत्र

मौखिक उत्तर हेतु स्थगित प्रश्न

बुधवार, 3 दिसम्बर, 2025/12 मार्गशीर्ष, 1947 (शक्)

[मुख्य मंत्री - उप-मुख्य मंत्री - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री - कृषि मंत्री - उद्योग मंत्री - राजस्व मंत्री - शिक्षा मंत्री - ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री - लोक निर्माण मंत्री - नगर एवं ग्राम योजना मंत्री - आयुष मंत्री].

कुल प्रश्न 3

रोजगार

*3316 **डॉ0 जनक राज (भरमौर) :**
श्री सुधीर शर्मा (धर्मशाला) :
श्री लोकेन्दर कुमार (आनी) :
श्री दीप राज (करसोग) :

क्या **मुख्य मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) हिमाचल राज्य चयन आयोग के गठन से दिनांक 31 जुलाई, 2025 तक कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ; अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के निलंबन एवं आयोग गठन के बीच की अवधि को देखते हुए क्या सरकार आयु सीमा में छूट देने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक;

(ख) गत तीन वर्षों में दिनांक 31 जुलाई, 2025 तक लोक सेवा आयोग, राज्य चयन आयोग व अन्य विभागों द्वारा कितने पदों की अधिसूचना जारी की गई; कितनी परीक्षाएं आयोजित हुईं, कितने अंतिम परिणाम घोषित हुए और कितने अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी गईं; किन विज्ञापित परीक्षाओं का आयोजन कब से लंबित है;

(ग) क्या आयोग ने कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं हेतु किसी एजेंसी के साथ एम0ओ0यू0

किया है; यदि हां, तो प्रति सभा पटल पर रखें; यदि नहीं, तो कारण;

(घ) सी0बी0टी0 परीक्षाओं के लिए प्रदेश में कितनी प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं, इनकी क्षमता क्या है तथा कितने पदों हेतु मांग प्राप्त हुई परंतु परीक्षाएं नहीं हो पाईं;

(ङ) सी0बी0टी0 हेतु निविदा प्रक्रिया में कितनी एजेंसियों ने भाग लिया और किसका चयन हुआ; और

(च) इस अवधि में मंत्रिमंडल ने कितने पद नियमित/अनुबंध आधार पर स्वीकृत किए और कितने पद किस आयोग/एजेंसी से भरे गए; ब्यौरा दें?

जॉब ट्रेनी नीति

*3333 **श्री सुधीर शर्मा (धर्मशाला) :**
डॉ0 हंस राज (चुराह) :
श्री रणधीर शर्मा (श्री नैना देवीजी) :
श्री विपिन सिंह परमार (सुलह) :
श्री सतपाल सिंह सत्ती (ऊना) :

क्या **मुख्य मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) यह सत्य है कि सरकार ने विभिन्न विभागों में युवाओं को ट्रेनी के रूप में नियुक्त करने की नीति आरम्भ की है; यदि हां, तो यह नीति किस तिथि से लागू की गई तथा संबंधित अधिसूचनाओं की प्रतियां सभा पटल पर रखें;

(ख) क्या इस नीति के अंतर्गत चयनित कर्मचारियों को पूर्व की भांति समान वित्तीय लाभ नहीं मिलते तथा स्थायी नियुक्ति से पूर्व दो वर्षों की अवधि पूर्ण करने के पश्चात पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है; यदि हां, तो यह परीक्षा कौन-सी संस्था/बोर्ड आयोजित करेगा तथा इसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता हेतु क्या पग उठाए गए हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इस नीति के तहत अनुबंध आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को भी एग्रीमेंट करने के लिए बाध्य किया जा रहा है; यदि हां, तो कारण;

(घ) वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न विभागों/बोर्डों/निगमों में कितने ट्रेनी कार्यरत हैं, इनमें से कितनों को स्थायी नियुक्ति मिली है तथा कितनों की सेवाएं बिना कारण समाप्त की गईं; ब्यौरा दें; और

(ङ) सरकार इस नीति में सुधार कर ट्रेनीज को कार्य एवं योग्यता के अनुरूप स्थायी अवसर देने पर विचार कर रही है; यदि हां, तो कब तक; यदि नहीं, तो कारण?

अवैध कब्जे

***3352 श्री जीत राम कटवाल (झण्डुता):**

क्या **राजस्व मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 05 अगस्त, 2025 के फैसले से सरकारी भूमि पर अवैध कब्ज़ों से प्रदेश में कितने परिवार प्रभावित हो रहे हैं; ब्यौरा दें; और

(ख) क्या सरकार द्वारा इस फैसले से बेघर हो रहे परिवारों के पुनर्वास एवं सुरक्षा हेतु कोई नीति बनाई गई है; यदि हां, तो प्रति सभा पटल पर रखें; यदि नहीं, तो पुनर्वास हेतु नीति कब तक तैयार कर ली जाएगी?

शिमला: 171004. **यशपाल शर्मा,**

28 नवम्बर, 2025. **सचिव**